

सुरक्षित जमा लॉकर करार (एनएफ 285)/Safe Deposit Locker agreement (NF285)

नॉकर सं. .OCKER No.		कुंजी सं Key No.		वर्ग/आकार/प्रकार/ Class/Size/Type	
यह करार	में	20 को	दिन	1	
	आयु	वर्ष,		के निवासी 2. 1	,
पुत्र/पुत्री/प	त्री	आयु	वर्ष,	के	निवासी 3
	, पुत्र/पुत्री/प	ाती	आयु .	वर्ष,	के निवासी (पूरा
नाम और	आवासीय पता) जिसे इस	के बाद किरायेदार	कहा जाता है, जिसकी	अभिव्यक्ति में जब	तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न
This agree 1years	20 s residing) betw at	een S/o/D/o/W/	0	day of aged
2	•••••	•••••	S/o/D/o/W/o		
3		at	S/o/D/	o/W/o	
	d residential address shall, include				unless repugnant to the
ir (बी/b) स्त fi re (सी/c) ए	ndividuals, his/ her/ t वामित्व फर्म, मालिक औ irm, the proprieto epresentative(s); क साझेदारी फर्म, ऐसे फ	their heirs(s), e र उसके उत्तराधिव r and his/ र्म और उसके उत्त	xecutor(s), administ हारी, निष्पादक, प्रशास her heirs(s), ex राधिकारी, ऐसे फर्म के	crator(s) and legal क और कानूनी प्रति ecutor(s), admin साझेदार, उनमें से उ	प्रितिनिधि/ one or more l representative(s); निधि; / a proprietorship nistrator(s) and legal त्तरजीवी और उनमें से प्रत्येक n firm and its successor,
sı a (डी/d) ए प्र sı	uch firm's partners, dministrator(s), legal क हिंदू अविभक्त परिव	the survivor representative ार (एचयूएफ), उ तिनिधि; तथा /ढ s), executor(s),	or survivors amoi (s) of each one of tl सके सदस्य और उनवे a Hindu Undivided administrator(s) an	ng them and th hem; के उत्तरजीवी, कानू Family (HUF), i d legal represent	e heir(s), executor(s), नी उत्तराधिकारी, निष्पादक, its members and their
और दूसरी निकाय,	जिसका प्रधान कार्याव	तय, 112, जे र	प्ती रोड, बेंगलूरु: 56 में स्थित है, इस	60002 में स्थित है के बाद बैंक कहा उ	ह अधीन गठित एक निगमित ओर उसकी एक शाखा जायेगा, के बीच है, जिसकी
AND CANARA undertak at	BANK, a body corpor kings) Act, 1970, hav	rate constituted ring its Head (d under the Bankin Office at 112, J. C	g Companies (Acc Road, Bangalon	quisition and Transfer of re-560002 and a branch hereinafter called the ne other part.

(बैंक और किरायेदार प्रत्येक को "पार्टी" के रूप में और सामूहिक रूप से "पार्टियों" के रूप में संदर्भित किया जाता है)/ (The Bank and the Hirer are individually referred to as a "Party" and collectively as "Parties")

जबकि/WHEREAS:

(ए/a) सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक किरायेदार/रों ने ऐसी सुविधा के लिए बैंक से संपर्क किया है;/The Hirer/s being desirous to avail of safe deposit locker facility, has approached the Bank for such facility; (बी/b) बैंक कुछेक शर्तों के अधीन किरायेदार/रों को सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत है; और/The Bank is agreeable to provide to the Hirer/s the safe deposit locker facility subject to certain terms and conditions; and

(सी/c) पार्टियों ने इस संबंध में उनके बीच सहमति नियत करने के लिए यह करार करने का निर्णय लिया है।/The Parties have decided to enter into this Agreement to set out the understanding between them in this regard.

अब	यह करा	र इस बात	का गवाह	है कि बैंक	ने किराये	द्यार/रों को	एक सुरि	त जमा व	गॉकर नंबर	ξ	
श्रेणी/	आकार/प्र	कारं	, 5	रु	के	वार्षिक कि	राए पर (इ	स करार व	र्गे अनुसूची	में दिए गए	विवरण
के अ	नुसार) पट्टे	पर दिया है	जो समय-सम	ाय पर किरा	ए के संशोध	न के अधीन	बिना मांग	के अग्रिम	रूप से देय	ा है।	
NOW	THÍS Ā	GREEMEN	T WITNESS	SETH that	the Bank	k has leas	sed to th	ne Hirer/	's a Safe	Deposit	Locker
No	• • • • • • • • • •		.class/size	/type	at	an annu	ıal rent	of Rs.	(detailed	in the
Sche	dule of	this agreei	nent) paya	ble in adv	ance with	out dema	nd subjec	ct to revi	sion of re	ent from t	ime to
time	_										

यह पार्टियों द्वारा और उनके बीच निम्नानुसार सहमति है/IT IS AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES AS FOLLOWS:

1. लॉकर लाइसेंस/LOCKER LICENCE

- 1.1 बैंक एक लाइसेंसदाता के रूप में किरायेदार को एक लाइसेंसधारी के रूप में, इस करार के तहत यथा निर्धारित शर्तों के अधीन सुरक्षित जमा लॉकर का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है, जिसका विवरण इस करार की अनुसूची में विशेष रूप से उल्लिखित है (एतद्पश्चात् "लॉकर" के रूप में संदर्भित)।/ The Bank as a licensor hereby grants to the Hirer as a licensee, the license to use the safe deposit locker, the details of which are more particularly described in the Schedule to this Agreement (hereinafter referred to as the "Locker"), subject to the terms and conditions as set out under this Agreement.
- 1.2 किरायेदार एतद्वारा किराए ("**किराया**") के रूप में अनुसूची में यथा निर्दिष्ट शुल्क इसकी शर्तों के अनुसार दी गई लाइसेंस को स्वीकार करता है। / The Hirer hereby accepts the license granted in terms hereof for fee as specified in the Schedule by way of rent (the "**Rent**").
- 1.3 लॉकर का उपयोग करने के लिए एतद्द्वारा दिया गया लाइसेंस निम्न प्रयोजन के लिए है/The license to use the Locker hereby granted is:
 - (ए/a) यह व्यक्तिगत और किरायेदार के अपने उपयोग के लिए है और ग्राहक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के उपयोग के लिए नहीं; Personal and for the Hirer's own use and not for the use of any person other than the Hirer;
 - (बी/b) अहस्तांतरणीय / Non- transferable;
 - (सी/c) केवल वैध उद्देश्यों के लिए जैसे कीमती सामान जैसे गहने और दस्तावेज़ों का भंडारण, किंतु किसी भी नकद या मुद्रा के भंडारण के लिए नहीं / Only for legitimate purposes such as storing of valuables like jewelry and documents but not for storing any cash or currency;
 - (डी/d) भंडारण के लिए नहीं / Not for storing:
 - (i) आयुध, हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स और/या कोई निषिद्ध सामग्री; और/या / arms, weapons, explosives, drugs and/or any contraband material; and/ or
 - (ii) कोई भी खराब होने वाली सामग्री और/या रेडियोएक्टिव सामग्री और/या कोई अवैध पदार्थ; और/या / any perishable material and/or radioactive material and/or any illegal substance; and/or
 - (iii) कोई भी सामग्री जो बैंक या उसके किसी किरायेदार के लिए कोई खतरा या बाधा पैदा कर सकती है। /any material which can create any hazard or nuisance to the Bank or to any of its customers.

- 1.4 लॉकर बैंक की अनन्य संपत्ति है और किराएदार/रों के पास इस करारनामें के तहत निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार लॉकर तक पहुंचने और उपयोग करने का अधिकार होगा।/ The Locker is the sole property of the Bank and the Hirer/s shall have the right to access and use the Locker in accordance with the terms and conditions specified under this Agreement.
- 1.5 यदि बैंक को संदेह है कि किरायेदार/रों द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर में कोई अवैध या खतरनाक वस्तु को जमा किया गया है, तो बैंक के पास यह अधिकार रहेगा कि लॉकर के किरायेदार/रों को बिना सूचना दिए लॉकर को तोडकर खोले और वह परिस्थितियों के अनुरूप किरायेदार/रों के खिलाफ उपयुक्त और समुचित कार्रवाई करे।/ If the Bank suspects the deposit of any illegal or hazardous substance by the Hirer/s in the safe deposit locker, the Bank shall have the right to break open the locker without giving notice to locker hirer/s and take appropriate action against the Hirer/s as it deems fit and proper under the circumstances.
- 1.6 किरायेदार/रों को निम्नासार लॉकर संचालित करने की अनुमित होगी / The Hirer/s shall be allowed to operate the Locker:
 - (ए/a) बैंक के कार्य दिवस पर लॉकर संचालन के लिए समय-समय पर बैंक द्वारा सूचित निर्दिष्ट समय के दौरान और ऐसी अधिसूचना के अभाव में, बैंक के कार्य-समय के दौरान। तथापि, यदि बैंक अपने नियंत्रण से बाहर किसी भी कारण से कार्य नहीं कर पाता है जैसे बाढ़, दंगा, कर्फ्यू, तालाबंदी आदि, तो बैंक लॉकर के संचालन की अनुमित देने के लिए बाध्य नहीं होगा।/ On a working day of the Bank during the specific time notified from time to time by the Bank for locker operation and in absence of such notification, during the business hours of the Bank. However, in the event of the Bank is not being able to operate for any reason beyond its control such as flood, riot, curfew, lockout etc., the Bank shall not have any obligation to allow operation of Locker;
 - (बी/b) बैंक द्वारा यथा निर्धारित रूप और तरीके से किरायेदार/रों द्वारा बैंक के रिकॉर्ड में इस तरह के परिचालन का विवरण दर्ज करने के बाद; और/ After the Hirer/s entering the details of such operation in the Bank's records in the form and manner as stipulated by the Bank; and
 - (सी/c) किरायेदार/रों द्वारा पहचान प्रमाण, यदि बैंक द्वारा मांग की जाती है, उपलब्ध कराने के बाद। After the Hirer/s provides identity proof, if so demanded by the Bank.

1 (ए /A). किरायेदार के अधिकार/ HIRER'S RIGHTS

- (a) किरायेदार/रों के पास, इस करार के शर्तों के अधीन सामान रखने के लिए लॉकर का उपयोग करने का अधिकार होगा और ऐसे सामान की सुरक्षा के लिए बैंक द्वारा उचित देखभाल की अपेक्षा की जाएगी और ऐसा करने में बैंक के विफल होने की स्थिति में, ऐसे उपचारों का लाभ उठा सकते हैं, जो लागू कानून और विनियमों के तहत समय-समय पर उपलब्ध हों।/ The Hirer/s shall have, subject to terms of this agreement, a right to use the Locker for keeping belongings and expect reasonable care by the Bank for protecting such belongings and in case of the Bank's failure to do so, avail of such remedies as may be available from time to time under the applicable law and regulations.
- (b) बैंक लागू कानून और विनियमों के तहत समय-समय पर प्रचलित किरायेदार के अधिकारों को स्वीकार करता है।/ The Bank acknowledges the Hirer's rights as may prevail from time to time under the applicable law and regulations.

2. किरायेदार द्वारा वचन और दायित्व/ HIRER'S UNDERTAKINGS AND OBLIGATIONS

- 2.1 किरायेदार द्वारा निम्न का अनुपालन किया जाएगा /The Hirer shall:
 - (ए/a) लॉकर का उपयोग लागू कानून और विनियमों के अनुसार केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे प्रदान किया गया है;/ Use the Locker only for the purpose for which it is provided and in accordance with applicable law and regulations;
 - (बी/b) लॉकर संचालन के लिए बैंक द्वारा समय-समय पर अपनाए जाने वाले नियमों और विनियमों का पालन किया जाएगा ;/ Abide by rules and regulations for locker operation as the Bank may from time to time adopt;
 - (सी/c)लॉकर खोलने के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई कुंजी, पासवर्ड या किसी अन्य पहचान तंत्र को सुरक्षित स्थान पर रखना, इसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करना और इसे किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में न पड़ने दें, तािक लॉकर के अनाधिकृत उपयोग से बचा जा सके;/ Keep the key, password or any other identification mechanism provided by the Bank for opening of the Locker in a place of safety, not share the same with any other person and not allow the same to fall into hands of any other person, so as to save unauthorized use of the Locker;
 - (डी/d) लॉकर को केवल बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई कुंजी, पासवर्ड या किसी अन्य पहचान तंत्र के ज़रिए संचालित करना और अन्यथा नहीं;/ Operate the Locker only using the key, password or any other identification mechanism provided by the Bank and not otherwise;

- (ई/e) लॉकर के संचालन के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई कुंजी या किसी अन्य पहचान तंत्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करना या उसकी प्रतिचाबी नहीं बनाना;/ Not to tamper with or make a copy of key or any other identification mechanism provided by the Bank for operation of the Locker;
- (एफ/f) लॉकर के संचालन के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई कुंजी, पासवर्ड या किसी अन्य पहचान तंत्र के खो जाने की स्थिति में बैंक को तुरंत सूचित करें। / Inform the Bank forthwith in case of loss of the key, password or any other identification mechanism provided by the Bank for the operation of the Locker;
- (जी/g) लॉकर के संचालन के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई कुंजी, पासवर्ड या किसी अन्य पहचान तंत्र वापस मिल जाने की स्थिति में बैंक को तुरंत वापस कर दें, जिनके खो जाने की सूचना बैंक को पहले दी गई थी;/ Return forthwith to the Bank in case of finding the key, password or any other identification mechanism provided by the Bank for the operation of the Locker, earlier having been reported to the Bank as lost;
- (एच/h) किराए देय होने पर बैंक को किराए का भुगतान करना और बैंक द्वारा निम्न के संबंध में किए गए सभी खर्चीं का वहन करना -

Pay to the Bank the Rent when due and bear all costs incurred by the Bank for-

- (i) बैंक द्वारा प्रदान की गई कुंजी के गुम होने की किरायेदार की रिपोर्ट पर लॉक को बदलना और लॉकर की मरम्मत करना; और/ Changing the lock and repairs to the Locker on the Hirer's reporting of loss of key provided by the Bank; and
- (ii) इस करार के अनुसार लॉकर को तोड़कर खोलना ।/ Breaking open of the Locker in terms of this Agreement.
- (आई/i) फोन नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि सहित नया पता और संपर्क विवरण प्रदान करते हुए किरायेदार के पते में परिवर्तन के संबंध में बैंक को तुरंत सूचित करना।/ Inform the Bank forthwith in case of the change of address of the Hirer providing new address and contact details including phone number, email id, mobile number etc.
- 2.2 किरायेदार/रों का एजेंट (यदि किरायेदार/रों व्यक्ति हो तो) Agent of Hirer/s (In case Hirer/s is Individual)* (यदि लागू न हो तो अधिप्रमानन के अधीन काट दें) (Strike off under authentication if not applicable).
- श्री/श्रीमती.... 2.2.1किरायेदार/रों एतद्दवारा अपने एजेंट पुत्र/पुत्री/पत्नी जो जो के निवासी है (पूरा नाम और आवासीय पता), को लॉकर नं., जिसकी कुंजी सं. है, तक पहुंच की अनुमति, वहां से वस्तुओं को जमा करने और वहां से वस्तुओं को समय-समय पर हटाने के उद्देश्य से अधिकृत करता है/करते हैं, जिनका नमूना हस्ताक्षर इस करार की अनुसूची में दिया गया है। इस तरह के अधिकार को किसी भी किराएदार/किराएदारों द्वारा किसी भी समय लिखित रूप में रद्द किया जा सकता है। प्रधान किरायेदार/किरायेदारों की मृत्यु की सूचना मिलने पर बैंक किरायेदार के एजेंट द्वारा लॉकर में किसी भी प्रकार के परिचालन की अनुमति नहीं देगा। इसके बाद मामले को या तो नामांकन के तहत या अन्यथा के आधार पर मृत्यु दावे के निपटान के माध्यम से सुलझाया जाएगा। The hirer/s hereby authorize his agent Sri./ Smt...... Smt...... S/o/D/o/W/o..... aged..... years residing at......(Full name and residential address) to allow access to the locker no...... with key no..... for the purpose of depositing articles and removing articles there from, from time to time whose specimen signature is given in the schedule of this agreement. Such authority may be cancelled by any of the Hirer/s at any time in writing. Bank shall not permit any operations in the locker by the agent of Hirer once the death of the principal hirer/s is reported. The matter thereafter shall be settled by way of a settlement of
 - * लागू वहां होता है जहां किरायेदार किसी एजेंट को अपना लॉकर संचालित करने के लिए अधिकृत करता है/करते हैं। *Applicable where the hirer/s authorize an agent to operate his/ her/ their locker

death claim depending upon either under nomination or otherwise.

2.2.2 किराए पर लेने वाला स्वयं के लिए और/उस नाबालिंग की ओर से जो किराए पर लेने वाला है/किराए पर लेने वालों में से एक, अभिभावक के रूप में इस करार को निष्पादित करता है, सहमत है और इस बात को समझता है कि लॉकर का उपयोग उसकी/उनकी वस्तुओं को रखने के लिए किया जाएगा और आगे सहमत है, यह अनुबंध है कि किराएदार अपनी व्यक्तिगत क्षमता में उक्त नाबालिंग के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होगा और बैंक लॉकर के किराए की अनुमित देने और/या उसे परिचालित करने के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी बात के लिए ज़िम्मेदार

नहीं होगा।**

The Hirer executing this agreement for self and/ on behalf of minor who is the hirer/ one of the hirers, as guardian, agrees and understands that the locker will be used for keeping the articles belonging to him/ them and further agrees, covenant that the hirer shall be liable and answerable to the said minor in his personal capacity and the Bank shall not be responsible for anything that may arise on account of having allowed the hire of locker and/ or operating the same.**

- ** लागु वहां होता है जहां किरायेदार /किरायेदार में से एक व्यक्ति नाबालिग है।
- ** Applicable where the hirer/ one of the hirers is a minor.
- 2.3 दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त नियम और शर्तें

Additional terms and conditions for visually Impaired persons

(यदि लागु न हो तो अधिप्रमाणन के अधीन काट दें)।

(Strike off under authentication if not applicable).

- 2.3.1 दृष्टिबाधित व्यक्ति होने के कारण किरायेदार ने बैंक से अनुरोध किया है कि सुरक्षित जमा लॉकर को किराए पर लेने वाले की पसंद के अनुसार एकल रूप से/ एकल रूप से किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सहायता से/संयुक्त रूप से अन्य व्यक्ति के साथ जो दृष्टिबाधित व्यक्ति नहीं है, परिचालित करने की अनुमित दी जाए। इस लॉकर करार की विषय-वस्तु को बैंक के संबंधित अधिकारियों द्वारा किराए पर लेने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाया गया है और किरायेदार ने सामग्री को समझ लिया है और विषय-वस्तु से किराएदार सहमत है।/ The hirer being a visually impaired person has made a request to the Bank for permitting to operate the safe deposit locker singly/ singly with the assistance of a reliable person as per the choice of the hirer/jointly with another person who is not a visually impaired person. The contents of this locker agreement are read out to the hirer by the officials concerned of the Bank and the hirer has understood the contents and the contents are agreeable to the hirer.
- 2.3.2 दृष्टिबाधित व्यक्ति होने के कारण किराएदार ने अपनी पसंद के विश्वसनीय व्यक्ति की सहायता प्राप्त करने का विकल्प चुना और बैंक को उस व्यक्ति का नाम और पता, किराएदार से उसका संबंध, यदि कोई हो, प्रदान करने और उसका एक फोटोग्राफ बैंक को उसके रिकॉर्ड में बनाए रखने हेत प्रदान करने का वचन दिया। किराए पर लेने वाला यह भी वचन देता है कि जब भी पहचान किए गए व्यक्ति किराएदार के साथ जाता है, तो बैंक को यह अधिकार है कि वह पहले पहचान किए गए व्यक्ति की पहचान उसके फोटो और हस्ताक्षर के माध्यम से सत्यापित करे और बैंक द्वारा उसकी पहचान से संतृष्ट होने के बाद ही, किराएदार को लॉकर परिचालन की अनुमति दी जाएगी। किराए पर लेने वाले व्यक्ति(किराएदार) यह भी वचन देता है कि एक बार उपरोक्त उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति की पहचान हो जाने के बाद, किराएदार के पास उस व्यक्ति को बदलने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि बैंक द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जाती है, या किराएदार द्वारा इस आशय का अनुरोध नहीं किया जाता है।/ The hirer being a visually impaired person chose to obtain the assistance of a reliable person of his choice and undertake to provide to the bank the name and address of the person, his relationship to the hirer, if any, and a photograph of that person have been provided to the bank to keep for its record. The hirer also undertakes that whenever the identified persons accompanies the hirer, the bank has the authority to first verify the identity of the identified person through his photo and signature and only after the Bank being satisfied of his identity, will be permitting the operation to the hirer. The hirer also undertakes that once a person is identified for the above purpose, the hirer shall not have the authority to change the person, unless permitted by the Bank, or request to this effect made by the hirer.
- 3. बैंक द्वारा किराएदार को पूरी तरह से सूचित कर दिया गया है कि लॉकर में रखी सामग्री के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं है। किराएदार द्वारा लॉकर में किया गया कोई भी ऑपरेशन उसके अपने जोखिम पर है और भविष्य में किए गए किसी भी दावे के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है। लॉकर में आवेदक द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ या अपनी पसंद के विश्वसनीय व्यक्ति की सहायता से किया गया कोई भी ऑपरेशन उसके अपने जोखिम पर है और बैंक किराए पर लेने वाले व्यक्ति(किराएदार) या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भविष्य में किए गए किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं है। / The hirer has been fully informed by the Bank that the Bank is not responsible for the contents kept in the locker. Any operation carried out in the locker by the hirer is at his own risk and the Bank is not liable for any claim whatsoever made in future. Any operation carried out in the locker by the applicant, either alone or jointly with another person or with assistance of a reliable person of his choice, is at his own risk and Bank is not liable for any claim made by hirer or any other person in future.

any other person in racare.

4. बैंक के अधिकार /BANK'S RIGHTS

- 4.1 बैंक के पास निम्न के संबंध में अधिकार होगा: /The Bank shall have a right to:
 - (ए/a) किराएदार के खाते में नामे डालते हुए लॉकर के संबंध में बैंक द्वारा वहन किए गए किराए और किसी भी अन्य लागत की वसूली करना, यदि किराएदार/रों द्वारा इसके देय होने पर इसका भुगतान नहीं किया जाता है, और

Recover the Rent and any other cost incurred by the Bank in relation to the Locker to the debit of the Hirer's account, in the event the same is not paid by the Hirer/s, when due; and

(बी/b) लॉकर तक पहुंच से इंकार /Refuse access to the Locker-

- (i) यदि लॉकर पर देय किराया बकाया रहता है; और /In case the rent due on the Locker remains unpaid; and
- (ii) लॉकर का उपयोग करते समय बैंक द्वारा पहचान का प्रमाण मांगे जाने पर किराएदार उसे उपलब्ध नहीं करा पाता है।/ Hirer/s fails to provide proof of identity when demanded by the Bank, at the time of seeking access to the Locker.

4.2 लाइसेंस की समाप्ति/Termination of License

- 4.2.1 बैंक के पास, इस अनुबंध के तहत किराएदार के उल्लंघन या डिफ़ॉल्ट की स्थिति में और/या बैंक का यह मानना है कि किराएदार सहयोग नहीं कर रहा है और/या इस अनुबंध की शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहा है, किराएदार को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट (और/या (i) ई-मेल जहां किराएदार की ईमेल आईडी उपलब्ध है, और (ii) एसएमएस और/या व्हाट्सएप, जहां किराएदार का मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध है) ("समाप्ति सूचना") द्वारा कम से कम एक महीने की पूर्व लिखित सूचना जारी करने के बाद, इस अनुबंध और इसके तहत दी गई लाइसेंस को समाप्त करने का अधिकार है। / The Bank shall have, in the event of the Hirer's breach of or default under this Agreement and/ or the Bank being of the view that the Hirer's is not co-operating and/or complying with the terms and conditions of this Agreement, a right to terminate this Agreement and the license granted hereunder, after issuing to the Hirer a prior written notice of not less than one month by registered post or speed post (and/ or also by (i) email where email id of the Hirer is available; and (ii) SMS and/or WhatsApp where the mobile phone number of the Hirer is available)("Termination Notice").
- 4.2.2 समाप्ति (टर्मिनेशन) नोटिस प्राप्त होने पर, किराएदार को चाहिए कि समाप्ति(टर्मिनेशन) नोटिस के तहत निर्धारित नोटिस अविध की समाप्ति से पहले सुपुर्द करे और लॉकर को खाली कर दे और बैंक द्वारा लॉकर खोलने के लिए उपलब्ध कराई गई कुंजिया, पासवर्ड या कोई अन्य पहचान तंत्र और दस्तावेज़ बैंक को सौंप दे। / Upon receipt of the Termination Notice, the Hirer shall forthwith and before the end of the notice period stipulated under the Termination Notice surrender and vacate the Locker and handover the keys, password or any other identification mechanism and documents provided by the Bank for opening of the Locker, to the Bank.
- 4.3 लॉकर को तोड़ना और उसकी सामग्री से निपटना /Breaking open of the Locker and dealing with its contents
- 4.3.1 निम्नलिखित में से किसी एक और उससे अधिक घटनाओं के घटने पर इस करार के प्रावधानों, बैंक की आंतरिक नीति (यों) और प्रक्रिया(ओं) और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार बैंक को लॉकर तोड़कर खोलने और उसके अंदर की सामग्री से निपटने का अधिकार होगा/ The Bank shall have a right to break open the Locker and deal with its contents in accordance with the provisions under this Agreement, the Bank's internal policy (ies) and procedure(s) and the applicable laws and regulations, in case of any one or more of the following events-
 - (ए) यदि किराएदार/रों को इसकी शर्त 4.2.1 के अनुसार समाप्ति(टर्मिनेशन) नोटिस दी जाती है और समाप्ति(टर्मिनेशन) नोटिस के तहत निर्धारित नोटिस अविध की समाप्ति के बाद किराएदार/रों द्वारा लॉकर को सुपुर्द और खाली नहीं किया जाता है;/ In the event of Termination Notice in accordance with Clause 4.2.1 hereof is served to the Hirer/s and the Hirer/s does not surrender and vacate the Locker after the end of the notice period stipulated under the Termination Notice;
 - (बी) लगातार 3 (तीन) वर्षों के लिए किराया बकाया रहता है /The Rent remains unpaid for 3 (three) consecutive years;
 - (सी) लॉकर 7 (सात) वर्ष या उससे अधिक की अविध के लिए निष्क्रिय रहता है (चाहे किराए का भुगतान किया गया हो या नहीं); और बैंक द्वारा किराएदार/रों का पता नहीं लगाया जा सकता है। बैंक को यह स्वतंत्रता होगी कि वह लॉकर की सामग्री को लॉकर किराएदारों के नामित/कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करे या पारदर्शी तरीके से वस्तुओं का निपटान करे, भले ही किराए का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा हो।/ The Locker remains inoperative (irrespective of whether Rent is paid or not) for a period of 7 (seven) years or more; and the Hirer/s cannot be located by the Bank. Bank shall be at liberty to transfer the contents of the locker to the nominee/ legal heir of the locker hirer(s) or dispose of the articles in a transparent manner as the case may be, even if the rent is being paid regularly;

- (डी) यदि सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों ने लॉकरों को जब्त करने के लिए न्यायालय या उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी के आदेश के साथ बैंक से संपर्क किया है और लॉकरों तक पहुंच कायम करने का अनुरोध किया है; तथापि बैंक शर्त 4.3.2 के तहत यथा नियत अनुसार नोटिस देने के लिए बाध्य नहीं रहेगा और/ If the Government enforcement agencies have approached the Bank with orders from the Court or appropriate competent Authority to seize lockers and requested for access to the lockers; however the Bank will not be obligated to give a notice as stipulated under clause 4.3.2 and
- (ई) यदि बैंक का ऐसा विचार है कि लॉकर को वापस लेने की आवश्यकता है क्योंकि लॉकर को किराए पर लेने वाला व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहा है या करार की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है।/ If the Bank is of the view that there is a need to take back the locker as the locker hirer is not co-operating or not complying with the terms and conditions of the agreement.
- 4.3.2 लॉकर तोड़कर खोलने के अधिकार का प्रयोग करने से पहले, बैंक द्वारा लॉकर को तोड़कर खोलने की प्रस्तावित कार्रवाई(तोड़कर खोले जाने की नोटिस("ब्रेक ओपन नोटिस") के संबंध में बैंक द्वारा किराएदार को पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट (और/या (i) ई-मेल जहां किराएदार/रों की ई-मेल आईडी उपलब्ध है, और (ii) एसएमएस और/या व्हाट्सएप, जहां किराएदार/रों का मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध है) द्वारा कम से कम एक महीने की पूर्व लिखित सूचना जारी की जाएगी।/ Before exercising the right to break open the Locker, the Bank shall send to the Hirer a notice (in addition to the Termination Notice under Clause 4.2.1 above) in writing of not less than 1 (one) month by registered post/ speed post (and also by (i) email where email id of the Hirer/s is available; and (ii) SMS and/or WhatsApp where the mobile phone number of the Hirer/s is available) of the Bank's proposed action of breaking open of the Locker ("Break Open Notice).
- 4.3.3 इस करार के तहत किन्हीं बातों के शामिल होने के बावजूद, लॉकर खोलने से पहले बैंक किराएदार/रों के मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर, किराएदार के पते पर एक व्यक्तिगत संदेशवाहक भेजकर, किराएदार के लैंड लाइन/मोबाइल फोन आदि पर फोन करके किराएदार से संपर्क करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। / Notwithstanding, anything contained under this Agreement the Bank shall take all possible efforts to contact the Hirer by sending messages on mobile phone of the Hirer/s, sending a personal messenger to the Hirer's address, making phone calls on the Hirer's land line/ mobile phone etc. before breaking open of the Locker.
- 4.3.4 यदि बैंक द्वारा भेजी गई समाप्ति(टर्मिनेशन) नोटिस और यथा ऊपर कथित अनुसार लॉकर तोड़कर खोले जानी की नोटिस(ब्रेकिंग ओपन नोटिस)), बिना सुपुर्दगी के लौटा दिया जाता है या बैंक द्वारा उचित प्रयास जिसमें ऊपर शर्त 4.3.2 और 4.3.3 के तहत उल्लिखित प्रयास शामिल हैं, किए जाने के बावजूद किराएदार/रों का पता नहीं लगाया जा सका है, बैंक द्वारा, लॉकर तोड़कर खोलने से पहले, उसी स्थान जहां किराएदार रहता है जैसा कि किराएदार के पते से पता चलता है या जैसा कि करार में उल्लिखित है या जैसा आगे किराएदार/रों द्वारा बैंक को सूचित किया गया है, के कम से कम 2 (दो) समाचार पत्रों (एक अंग्रेज़ी में और दूसरा स्थानीय भाषा में) में लॉकर तोड़कर खोले जाने के बैंक के इरादे के बारे में कम से कम 1 (एक) महीने की सार्वजिनक सूचना नोटिस जारी की जाएगी।/ In case the Termination Notice and the Breaking Open Notice as aforesaid sent by the Bank is returned undelivered or the Hirer/s is/are not found to be traceable despite the Bank having taken reasonable efforts including those stated under Clause 4.3.2 and 4.3.3 above, the Bank shall, before breaking open the Locker, issue a public notice of not less than 1 (one) month about the Bank's intention to break open the Locker, in minimum 2 (two) newspapers (one in English and another in local language) in the same location where the Hirer/s resides as evidenced by the Hirer's address as stated in the Agreement or as further communicated by the Hirer's to the Bank.
- 4.3.5 लॉकर तोड़कर खोलने का कार्य एक समिति की उपस्थिति में किया जाएगा जिसमें बैंक के 2 (दो) अधिकारी और गवाह के रूप में कार्य करने वाले 2 (दो) स्वतंत्र व्यक्ति होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित लॉकर (स्मार्ट वॉल्ट सिहत) के मामले में, लॉकर खोलने के लिए 'वॉल्ट एडिमिनिस्ट्रेटर' पासवर्ड के प्रयोग को एक विरष्ठ अधिकारी को सौंपा जाएगा और एक्सेस संबंधी पूरा लेखापरीक्षा ब्योरा (ऑडिट ट्रेल) परिरक्षित किया जाएगा।/ The breaking open of Locker would be done in the presence of a committee consisting of 2 (two) officers of the Bank and 2 (two) independent persons acting as witnesses. In the event of electronically operated Locker (including Smart Vaults), the use of 'Vault Administrator' password for opening of locker shall be assigned to a senior official and complete audit trail of access shall be preserved.
- 4.3.6 लॉकर को खोलने पर, यथा ऊपर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, बैंक लॉकर की सामग्री की वस्तु-सूची(इंवेंटरी) तैयार करेगा और बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा वस्तु-सूची(इंवेंटरी) का मूल्यांकन करवाया जायेगा और लॉकर की सामग्री को टैम्पर-प्रूफ तरीके से एक अग्निरोधक तिजोरी के अंदर विस्तृत वस्तु-सूची(इंवेंटरी) के साथ सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा। / Upon breaking open of the Locker, having followed the procedure as set out above, the Bank shall prepare inventory of the contents of the Locker and get valuation of

- the contents done by the Bank's approved Valuer and the contents of the Locker shall be kept in sealed envelope along with detailed inventory inside a fireproof safe in a tamper-proof way.
- 4.3.7 उपरोक्त के अलावा, बैंक लॉकर तोड़कर खोलने की प्रक्रिया के संबंध में वस्तु-सूची(इंवेंटरी) के मूल्यांकन सिहत एक वीडियो भी रिकॉर्ड करेगा और उसे सुरक्षित रखने सिहत संरक्षित किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी विवाद या अदालत संबंधी मामले में सबूत प्रदान किया जा सके।/ In addition to the above, the Bank shall also record a video of the break open process together with inventory assessment and safe keep and preserve the same so as to provide evidence in case of any dispute or court case in future.
- 4.3.8 इसके अलावा, बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि लॉकर को तोड़कर खोले जाने का विवरण बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) या आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुरूप लॉकर रजिस्टर के अलावा किसी अन्य कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में लॉकर प्रलेखित है।/ Furthermore, the Bank shall also ensure that the details of breaking open of locker is documented in the Bank's Core Banking System (CBS) or any other computerized system compliant with the Cyber Security Framework issued by RBI from time to time, apart from locker register.
- 4.3.9 ऊपर दिए गए पैराग्राफ में यथा उल्लिखित तरीके के अनुसार तैयार की गई वस्तु-सूची(इंवेंटरी) में दर्ज लॉकर की वस्तुओं का निपटान या तो सार्वजिनक नीलामी में बिक्री द्वारा किया जाएगा और बिक्री से प्राप्त बिक्री राशि को पहले किराएदार द्वारा बैंक को देय राशि(बकाया किराया, लॉकर तोड़कर खोलने संबंधी शुल्क और अन्य कोई बकाया राशि सिहत) के प्रति लागू किया जाएगा और शेष राशि किराएदार/रों को वापस कर दी जाएगी या किराएदार/रों के आदेश पर निपटान के लिए रखी जाएगी या किराएदार/रों के नामिती या कानूनी वारिस को हस्तांतरित की जाएगी।/ Disposal of the articles of the Locker as recorded in the inventory prepared in the manner as stated in the paragraphs above, shall be done either by sale in public auction and the sale proceeds shall be applied first towards the Hirer's dues to the Bank (including outstanding Rent, breaking open charges and any other dues) and balance be refunded to the Hirer/s or held for the disposal at the order of the Hirer/s or transferred to the nominee or legal heirs of the Hirer/s.
- 4.3.10 सार्वजिनक नीलामी आयोजित करके लॉकर की वस्तुओं की बिक्री से पहले, बैंक द्वारा, बैंक के प्रित देय की वसूली हेतु लॉकर की वस्तुओं को नीलाम करने के बैंक के इरादे के बारे में बैंक द्वारा किराएदार/रों को पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट (और/या (i) ई-मेल जहां किराएदार/रों की ई-मेल आईडी उपलब्ध है, और (ii) एसएमएस और/या व्हाट्सएप, जहां किराएदार/रों का मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध है) द्वारा कम से कम एक महीने की पूर्व लिखित सूचना जारी की जाएगी। उक्त नोटिस ("नीलामी सूचना") में नीलामी की तिथि, समय और स्थान और इसकी शर्तों के अनुसार लॉकर की सामग्री संबंधी वस्तु-सूची(इंवेंटरी) की एक प्रति होगी।/ Before sale of the contents of the Locker by conducting public auction, a notice of not less than one month in writing by registered post/ speed post (and/ or also by (i) email where email id of the Hirer/s is available; and (ii) SMS and/or WhatsApp where the mobile phone number of the Hirer/s is available) shall be issued by the Bank to the Hirer/s about the intention of the Bank to auction the contents of the locker for recovery of the dues to the Bank. The said notice ("Auction Notice") shall contain the date, time and place of auction and a copy of the inventory of the contents of the Locker made in terms hereof.
- 4.3.11 यदि सरकारी प्रवर्तन एजेंसियां, न्यायालय या उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी के आदेश के साथ लॉकरों को जब्त करने और लॉकरों के प्रयोग हेतु बैंक से संपर्क करती हैं, तो बैंक किराएदार/रों को पत्र भेजने के साथ-साथ ईमेल/एसएमएस द्वारा पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर सूचित करेगा।/ In case Government enforcement agencies approach Bank with orders from the Court or appropriate Competent Authority to seize lockers and request for access to the lockers, Bank shall inform the Hirer/s by letter as well as by email/SMS to the registered email id / mobile number.
- 5. देयताओं और दायित्वों का बैंक द्वारा निर्वहन / THE BANK'S DISCHARGE FROM OBLIGATIONS AND LIABILITY
- 5.1 बैंक किसी भी मामले में, लॉकर की सामग्री के खराब होने या क्षतिग्रस्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा चाहे वह बारिश, बाढ़, भूकंप, बिजली, नागरिक अशांति या हंगामा, दंगा या युद्ध या किसी आतंकवादी हमले की स्थिति में या किसी अन्य ऐसे समान कारणों से हुआ हो।/ The Bank shall not be liable, in any case, for deterioration or damage to the contents of the Locker whether caused by rain, flood, earthquake, lightning, civil disturbance or commotion, riot or war or in the event of any terrorist attack or by any other similar cause(s).
- 5.2 किराएदार की गलती या लापरवाही के कारण या उसके ऐसे किसी कार्य से होने वाले लॉकर की सामग्री के किसी भी नुकसान / हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। / The Bank shall not be liable for any damage/ loss of

- contents of the Locker arising from any act that is attributable to the fault or negligence of the Hirer whatsoever.
- 5.3 बैंक अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा और इस समझौते के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लॉकर को तोड़ने और उसकी सामग्री के निपटारे की स्थिति में किराएदार/रों द्वारा व्यय किसी भी लागत, हानि या दायित्व (लॉकर की सामग्री के संबंध में किसी भी प्रकार की क्षति और/या लॉकर की सामग्री के नुकसान सिहत) के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। / The Bank shall be discharged of its obligations and shall not be liable for any cost, loss or liability incurred by the Hirer/s (including for any damage and/or loss of contents of Locker) in the event the Locker is broken open and its contents dealt with in keeping with the provisions of this Agreement.
- 5.4 उपरोक्त के बावजूद, लॉकर पर बैंक की देयता हमेशा लागू विधि और विनियम के अधीन होगी। सुरक्षित जमा लॉकर के मौजूदा वार्षिक किराए के सौ गुना के बराबर राशि के लिए बैंक का दायित्व होगा।/ Regardless of the above, the Bank's liability on the Locker shall always be subject to limitation under the applicable law and regulation. Bank's liability shall be for an amount equivalent to one hundred times the prevailing annual rent of the safe deposit locker.
- 5.5 लॉकर की सामग्री को बैंक द्वारा किसी भी तरह से बीमाकृत नहीं माना जाएगा, और किसी भी जोखिम के लिए लॉकर की सामग्री का बीमा करने के लिए बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा। /The contents of the Locker shall in no manner be considered insured by the Bank, and the Bank shall not have any liability to insure the contents of the locker against any risk whatsoever.

6. कानून और क्षेत्राधिकार / LAW AND JURISDICTION

यह समझौता भारतीय कानून के अधीन बनाया गया है और इससे संबंधित सभी मामले उस स्थान पर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे जहां बैंक स्थित है या जिस क्षेत्राधिकार में बैंक आता है। / This Agreement is made subject to Indian law and all matters arising out of it shall be subject to the jurisdiction of courts at the place where the Bank is situated or in the jurisdiction of which the Bank falls.

अनुसूची SCHEDULE

स्थान/	Place:	दिनांक/ Date:
1. कर	ार की पार्टिया/ PARTIES	TO THIS AGREEMENT
1(哎/ A)	बैंक /THE BANK	केनरा बैंक, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित एक निगमित निकाय, जिसका प्रधान कार्यालय 112, जे.सी. रोड, बेंगलूरु-560002 में है और इनके द्वारा अपनी शाखा के माध्यम से संचालन कर रहा है जैसा कि नीचे बताया गया है। CANARA BANK, a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act, 1970, having its Head Office at 112, J. C. Road, Bangalore-560002 and operating in these presents through its branch as stated below.
	शाखा/ BRANCH	
1(बी /B)	किराएदार/THE HIRER	नाम व पता/ NAME AND ADDRESS: 1 नाम/ Name: पता/ Address: ईमेल आईडी/ Email ID: टेलीफोन संख्या/ Telephone Number: मोबाइल संख्या/ Mobile Number: 2 नाम/ Name: पता/ Address: ईमेल आईडी/ Email ID: टेलीफोन संख्या/ Telephone Number: मोबाइल संख्या/ Mobile Number: 3 नाम/ Name: पता/ Address: ईमेल आईडी/ Email ID: टेलीफोन संख्या/ Telephone Number: मोबाइल संख्या/ Mobile Number: मोबाइल संख्या/ Telephone Number:

2	किराएदार का एजेंट (यदि किराएदार व्यक्ति है/हैं) AGENT OF HIRER (IN CASE HIRER/S IS INDIVIDUAL) (यदि लागू है/If Applicable)	नाम/ Name: पता/ Address: ईमेल आईडी/ Emai टेलीफोन संख्या/ Te मोबाइल संख्या/ Mol	elephone Numb	er:	
2(哎/ A)	किराएदार के एजेंट का नमूना हस्ताक्षर SPECIMEN SIGNATURE OF AGENT OF HIRER				
3	लॉकर का विवरण/ DESCRIPTION OF	लॉकर संख्या/ LOCK कुंजी संख्या/ KEY NU			
	LOCKER	श्रेणी/ आकार/ प्रकार		ТҮРЕ	
4	लॉकर का किराया प्रति वर्ष / LOCKER RENT PER YEAR	रुपए figures):	(आंकड़ों	में)/	Rs.(in
		(अग्रिम में देय)/ (Pay	able in advance		ŕ
5	लाइसेंस की अवधि/ PERIOD OF LICENCE	(एक) वर्ष की एक शर्तों को समाप्त नर्ह 1 (One) year fror such one year s	और अवधि के लि ों किया जाता है। n the date of th hall stand auto	जो इस तरह के एक वर्ष ए बढ़ा दिया जाएगा ज his Agreement whic omatically extende time unless termi	ाब तक कि इसकी ch at the end of d for a further
6	संचालन अधिदेश/ OPERATING MANDATE				
7	अन्य नियम व शर्ते/ ANY OTHER TERM				
8	किराया वसूली के लिए कासा खाता संख्या / CASA ACCOUNT NUMBER FOR RENT COLLECTION				

इसके साक्ष्य में, इसके पक्षकारों ने इस करार को निष्पादित किया है।/ IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Agreement.

किराएदार/रों के लिए / For the Hirer/s					
	1	2	3		
हस्ताक्षर/ Signature					
नाम / Name					
पदनाम/ हैसियत* Designation/ Capacity*					

(*ऐसे मामले में जहां किराएदार गैर-व्यक्तिगत है/व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर नहीं कर रहा है/) (in case where the Hirer is non individual/ not signing in person)

नामांकन फार्म एसएल 1/ एलएल 1-ए / NOMINATION FORM SL 1/ SL 1-A सुरक्षित जमा लॉकर के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45जेडई और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 4(1)/4(2) के तहत एकमात्र किराएदार/संयुक्त किराएदारों द्वारा नामांकन*।

Nomination under Section 45ZE of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 4(1)/ 4(2) of — the Banking Companies (Nomination) Rules, 1985 by the sole hirer / joint hirer/s in respect of Safe Deposit Locker*.
मैं/हम, (नाम तथा पता) निम्नलिखित व्यक्ति(यों) को नामित करता/करती हूँ/करते हैं, जिसे मेरी/हमारी/अवयस्क/कों/हम में से एक या एक से अधिक की मृत्यु होने की दशा में, (जिस शाखा/कार्यालय में लॉकर स्थित है, उसका नाम और पता) लॉकर तक जाने की अनुमित दें तथा लॉकर की वस्तुओं, जिसके विवरण नीचे दिए गए हैं, निकालने की स्वतंत्रता दें। हम में से उत्तरजीवी या उत्तरजीवी के साथ संयुक्त रूप से:*
I/We (Name/s & Addresses) nominate the following person(s) to whom in the event of my/our/minor/s/one or more of our death, (Name and address of the branch/office in which the locker is situated) may give access to the locker and liberty to remove the contents of the said Locker, particulars of which are given here below. Jointly with the survivor or survivors of us:*
विशेषता सूचक चिह्न या लॉकर संख्या / Distinguishing mark or Locker No
नामिती / NOMINEE: :
नाम / Name
पता / Address
अन्य विवरण यदि कोई हैं/ Additional details if any:: किराएदार के साथ संबंध, यदि कोई हो / Relationship with the Hirer, if any :आयु / Age:
स्थान/ Place: दिनांक/ Date: किराएदार के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान** Signature/s /Thumb impression of Hirer/s**
पवाह ^{***} WITNESS***
नाम/ Name
हस्ताक्षर/Signature
पता/Address
• जो लागू न हो उसे काट दें ।/ Strike off whichever is not applicable. ** जहां लॉकर केवल नाबालिग के नाम पर किराए पर लिया जाता है, नामांकन पर नाबालिग की ओर से कानूनी रूप से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। **Where the locker is hired solely in the name of minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor. *** Thumb impression shall be attested by two witnesses /अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
नामांकन/ स्वीकृत और पंजीकृत पंजीकरण संख्यादिनांक
Nomination / Accepted and Registered vide Regn .Nodated
कृते केनरा बैंक/ For CANARA BANK